कार्यालय परिवहन आयुक्त मध्य प्रदेश, ग्वालियर

क्रमांक 36 /स्थापना/टीसी/2006 ग्वालियर, दिनांक 10-2-200

प्रति,

समस्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी,
समस्त अति0क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी,
समस्त जिला परिवहन अधिकारी,

विषय - जन-प्रतिनिधियों तथा सामान्य जनता से मृदु व्यवहार रखने के संबंध में।

माननीय परिवहन मंत्रीजी व्दारा प्रदेश के बस ऑपरेटर संगठनों के पदाधिकारियों की बैठक दिनांक 7-2-2006 को ली गयी थी। इस बैठक में अन्य मुद्दों के साथ ही साथ परिवहन कार्यालयों में पदस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के व्यवहार के संबंध में भी ध्यान आकृष्ट किया गया। अनेक बस संचालकों ने इस बात की शिकायत की कि क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों में कर्मचारियों का व्यवहार उचित नहीं होता है। यहां मैं यह स्पष्ट करना चाहूँगा कि प्रत्येक शासकीय कर्मचारी का यह दायित्व है कि वह जनता के व्यक्तियों के साथ अपना व्यवहार संतुलित एवं सम्मानजनक रखे।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप तथा आपके अधीनस्थ कर्मचारी जन प्रतिनिधियों तथा सामान्य जनता के व्यक्तियों के साथ मृदु व्यवहार रखें।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में मैं आपका ध्यान इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 5881/स्थापना/टीसी/04 दिनांक 13-9-2004 की ओर आकृष्ट करना चाहूँगा। इस परिपत्र में जन प्रतिनिधियों, जनता के लोंगों तथा कार्यालय के सम्पर्क में आनेवाले सभी व्यक्तियों के साथ उचित व्यवहार के संबंध में निर्देश दिये गये थे। कार्यालयों में आगन्तुकों का शिष्टाचार के साथ स्वागत होना चाहिए तथा उन्हें उनके काम के संबंध में तत्काल स्पष्ट जानकारी दी जाना चाहिए ताकि उनका अनावश्यक समय व्यर्थ न हो। सभी अधिकारी व्यक्तिगत रूचि लेकर इसका पालन करें तथा अधिनस्थ कर्मचारियों से इसका पालन कराना सुनिश्चित करें।

(एन0के0 त्रिपाठी)
परिवहन आयुक्त
मध्य प्रदेश

क्रमांक /निस/टीसी/2006 ग्वालियर, दिनांक 10-02-2006

प्रतिलिपि –

1– प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, परिवहन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

2– निज सहायक, माननीय परिवहन मंत्रीजी, मध्य प्रदेश शासन, परिवहन विभाग, भोपाल

परिवहन आयुक्त
मध्य प्रदेश

कार्यालय परिवहन आयुक्त, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

क्रमांक/ /नीति/टीसी/2006 ग्वालियर, दिनांक..................

प्रति,

क्षैत्रीय/अति.क्षैत्रीय/ जिला परिवहन अधिकारी,
______________________मध्य प्रदेश ।

विषय :- मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 72(2)(16) के अंतर्गत डाक बैग परिवहन करने की अनिवार्यता ।

संदर्भ :- प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, परिवहन विभाग, मंत्रालय, भोपाल का पत्र कमांक एफ–22–38/2006/आठ, भेपाल, दिनांक 07.9.2006

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपको संबोधित संदर्भित पत्र का अवलोकन करें जिसमें अवगत कराया गया है कि मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल मध्यप्रदेश ने मध्यप्रदेश के ग्रामीण अंचलों में डाक लाने व पहुंचाने जैसे कर्त्तव्यों को पूरा करने में आ रही कठिनाईयों की ओर ध्यान आकर्षित किया है।

अतः आपको उक्त विषय में पुनः निर्देशित किया जाता है कि संदर्भित पत्र में उल्लेखित नियम/निर्देशों में निहित दिशा निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुये परमिट स्वीकृत/जारी करते समय डाक ढोये जाने की शर्त को आवश्यक रूप से अंकित किया जावे एवं इन शर्तो का उल्लंघन करने वाले वाहन संचालकों के विरूद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जावें।

उप–परिवहन आयुक्त(प्रशा.)
मध्य प्रदेश

पृ. क्रमांक/ /नीति/टीसी/2006 ग्वालियर, दिनांक..................

प्रतिलिपिः–

प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, परिवहन विभाग, मंत्रालय, बल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

उप–परिवहन आयुक्त(प्रशा.)
मध्य प्रदेश

N. K. Tripathi
IPS
एन. के. त्रिपाठी
भा पु. से
Transport Commissioner
परिवहन आयुक्त
Madhya Pradesh
मध्य प्रदेश

OFFICE OF THE TRANSPORT COMMISSIONER
Moti Mahal, Gwalior - 474 001 (M.P.)
कार्यालय परिवहन आयुक्त
मोतीमहल, ग्वालियर - 474 007 (म. प्र.)
कार्यालय - 0751 2429105
फैक्स - 0751 2457006
E-MAIL - tcmp@mpgwalr.mp.net.in

3036
4/5/07

प्रति,

क्षेत्रीय / अतिरिक्त क्षेत्रीय /
जिला परिवहन अधिकारी (समस्त)
....................................(म0प्र0)

विषय :- निजी परिवहन तथा कोरियर कंपनियों व्दारा डाक विभाग के नाम का दुरूपयोग

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग भोपाल की एकल नस्ती कमांक 496/पीएस/टी/07 दिनांक 23.03.07 के संलग्न प्राप्त निदेशक डाक सेवायें (मुख्यालय) कार्यालय मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल म0प्र0 परिमंडल भोपाल का प्रमुख सचिव परिवहन विभाग म0प्र0 शासन भोपाल को संबोधित अ0शा0 पत्र कमांक मेल/1-1/आरएलजी/07 दिनांक 23.02.07 के व्दारा अवगत कराया गया है कि निजी परिवहन व कोरियर कंपनी के वाहनों पर ''डाक सेवा'' ''डाक पार्सल सेवा'' शब्दावली का उपयोग अवैध है तथा इससे म0प्र0 मोटरयान नियम 1994 के नियम 114 का उल्लंघन होता है तथा ऐसे कृत्यों को रोकने हेतु नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही करने हेतु लेख किया है । इस संबंध में प्रमुख सचिव महोदय व्दारा भी निर्देशित किया गया है ।

म0प्र0 मोटरयान नियम 1994 के नियम 114(2) के अनुसार लोक सेवा यान, जबकि उसका उपयोग नियमित रूप से डाक या तार विभाग से की गई संविदा व्दारा या उसके अधीन डाक की चिठ्ठियाँ लाने ले जाने के लिये किया जाता है । तब उस मोटरयान के सहज दृष्टव्य स्थान पर लिखी गई पट्टी या बाहरी समतल सतह पर सफेद पृष्ठभूमि पर लाल रंग के शब्द ''डाक'' (Mail) प्रदर्शित किया जा सकेगा, का प्रावधान है । तत्पशत् नियम 114(3) में यथा पूर्वोक्त के सिवाय किसी भी अन्य मोटरयान पर किसी ऐसे संकेत या अंर्तलेख का संप्तदर्शन नहीं किया जावेगा जिसमें शब्द ''डाक'' (Mail) सम्मिलित हो, का प्रावधान किया गया है ।

अतः मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग से प्राप्त निर्देशों के कम में आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने क्षेत्रान्तर्गत उपरोक्त नियमों का उल्लंघन करने वाली वाहनों के विरुद्ध कायम [illegible] कर नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही करें [illegible] की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत करानास सुनिश्चित करें ।

(हस्ताक्षर)
परिवहन आयुक्त
मध्यप्रदेश

पृ0कं0 3036 /नीतिं/टीसी/2007 ग्वालियर : दिनांक 4/5/07

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
2. निर्देशक डाक सेवायें (मुख्यालय) कार्यालय मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल म0प्र0 परिमंडल भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

परिवहन आयुक्त
मध्यप्रदेश

कार्यालय परिवहन आयुक्त मध्यप्रदेश ग्वालियर

क्रमांक 702 /नीति/टीसी/2007 ग्वालियर : दिनांक

प्रति,

क्षेत्रीय / अतिरिक्त क्षेत्रीय /
जिला परिवहन अधीकारी(समस्त)
....(म0प्र0)

विषय :- परिसंकटमय पदार्थ / रसायनों के परिवहन के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों व नियमानुसार की जाने वाली कार्यवाहियाँ

सन्दर्भ :- मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड परिसंकटमय अपशिष्ट प्रबंधन शाखा पर्यावरण परिसर ई-5 अरेरा कॉलोनी, भोपाल का पत्र क्रमांक 642/प्रनिवो/सामान्य/2006-12-क्यू2 दिनोंक 02.11.2006

उपरोक्त विषयान्तर्गत मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड परिसंकटमय अपशिष्ट प्रबंधन शाखा क संदर्भित पत्र (संलग्न) का अवलोकन करें । परिसंकटमय अपशिष्ट के परिवहन के दौरान संभावित दुर्घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुये ऐसे पदार्थो / रसायनों का परिवहन करते समय मोटरयान अधिनियम एवं विस्फोट अधिनियम के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों का पालन करने के साथ साथ एचएसएमडी रूल्स के अन्तर्गत प्रावधानों में दिये गये बिन्दुओं का पालन करना भी अनिवार्य है । अतः सुनिश्चित किया जावे कि परिसंकटमय पदार्थ / रसायनों के परिवहन के दौरान उपयोग में लाये जाने वाले वाहनों व्दारा पत्र में दर्शाये गये बिन्दुओं के अनुसार बरती जाने वाली सावधानियों व नियमानुसार कार्यवाहियों का पालन अनिवार्य रूप से किया जावे।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

परिवहन आयुक्त
मध्यप्रदेश
22/1

पृ0क्र0 /नीति/टीसी/2006

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर कृपया सूचनार्थ प्रेषित ।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर कृपया सूचनार्थ प्रेषित ।
3. सदस्य सचिव मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड परिसंकटमय अपशिष्ट प्रबंधन शाखा, पर्यावरण परिसर ई-5 अरेरा कॉलोनी भोपाल की ओर सूचनार्थ ।

परिवहन आयुक्त
मध्यप्रदेश

जी/ए
2/12

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
परिसंकटमय अपशिष्ठ प्रबंधन शाखा
पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कालोनी, भोपाल

☎: PBX: 0755-2466191, 2464428, Direct: 2461953 FAX: 0755-2463742 Web: www.mppcb.nic.in, E-mail : it_mppcb@rediffmail.com

क्र. 642 /प्रनिबो/खत.शाखा/सामान्य/2006.12.02 भोपाल, दिनॉक 02/11/06

प्रति,

आयुक्त
मध्यप्रदेश शासन,
परिवहन कार्यालय,
मोती महल,
ग्वालियर (म.प्र.)

विषयः–परिसंकटमय पदार्थ/रसायनों के परिवहन के दौरान बरती जाने वाली सावधानियॉ व नियमानुसार की जाने वाली कार्यवाहियॉ।

हाल ही में मण्डीदीप, जिला रायसेन के निकट ग्रामीण क्षेत्र में एक रिसाव की दुर्घटना हुई। ऐसा प्रतीत होता है, कि संभवतः उपरोक्त दुर्घटना किसी वाहन द्वारा रसायन स्पिलेज के कारण हुई होगी। अतः आपसे अनुरोध है कि ऐसी घटना की पुनरावृति न हो इसलिए जिलों में पदस्थ अधीनस्थ अधिकारियों को नियमों के अनुसार कार्य करने हेतु आप निर्देशित करने का कष्ट करें।

परिसंकटमय अपशिष्ठ के लोडिंग–अनलोडिंग एवं परिवहन के दौरान संभावित र्दुघटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए परिसंकटमय अपशिष्ठ (प्रबंधन एवं हथालन) नियमों के तहत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दिल्ली द्वारा मार्गदर्शिका (HAZWAMS/33/2005-2006) बनायी गयी है। ऐसे पदार्थो का परिवहन करते समय मोटरयान अधिनियम, 1988 एवं विस्फोट अधिनियम के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों का पालन करने के साथ–साथ HSMD Rules के अंतर्गत प्रावधानों में दिये गये बिन्दुओं का पालन करना भी अनिवार्य हैं। उपयोग में लाया जाने वाला वाहन परिवहन हेतु निम्नानुसार व्यवस्था आवश्यक रूप से रहेगा।

जीवि
6/12

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
परिसंकटमय अपशिष्ठ प्रबंधन शाखा
पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कालोनी, भोपाल

: PBX: 0755-2466191, 2464428, Direct: 2461953 FAX: 0755-2463742 Web: www.mppcb.nic.in, E-mail : it_mppcb@rediffmail.com

क्र. 642 / प्रनिबो / खत.शाखा / सामान्य / 2006.12.02 भोपाल, दिनॉक 02/11/06

प्रति,

आयुक्त
मध्यप्रदेश शासन,
परिवहन कार्यालय,
मोती महल,
ग्वालियर (म.प्र.)

विषयः–परिसंकटमय पदार्थ / रसायनों के परिवहन के दौरान बरती जाने वाली सावधानियॉ व नियमानुसार की जाने वाली कार्यवाहियॉ।

हाल ही में मण्डीदीप, जिला रायसेन के निकट ग्रामीण क्षेत्र में एक रिसाव की दुर्घटना हुई। ऐसा प्रतीत होता है, कि संभवतः उपरोक्त दुर्घटना किसी वाहन द्वारा रसायन स्पिलेज के कारण हुई होगी। अतः आपसे अनुरोध है कि ऐसी घटना की पुनरावृति न हो इसलिए जिलों में पदस्थ अधीनस्थ अधिकारियों को नियमों के अनुसार कार्य करने हेतु आप निर्देशित करने का कष्ट करें।

परिसंकटमय अपशिष्ठ के लोडिंग–अनलोडिंग एवं परिवहन के दौरान संभावित दुंघटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए परिसंकटमय अपशिष्ठ (प्रबंधन एवं हथालन) नियमों के तहत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दिल्ली द्वारा मार्गदर्शिका (HAZWAMS/33/2005-2006) बनायी गयी है। ऐसे पदार्थो का परिवहन करते समय मोटरयान अधिनियम, 1988 एवं विस्फोट अधिनियम के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों का पालन करने के साथ–साथ HSMD Rules के अंतर्गत प्रावधानों में दिये गये बिन्दुओं का पालन करना भी अनिवार्य हैं। उपयोग में लाया जाने वाला वाहन परिवहन हेतु निम्नानुसार व्यवस्था आवश्यक रूप से रहेगा।

1. परिसंकटमय रसायनों के उपयोग में लाये जाने वाले वाहन मोटरयान अधिनियम 1988 में दिये गये प्रावधानों के अनुरूप होने चाहिए। इसी प्रकार परिसंकटमय पदार्थों/अपशिष्ठों का परिवहन करने वाले मोटरयानों को संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से परिसंकटमय अपशिष्ठ परिवहन से पूर्व आवश्यक अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही अपशिष्ठ परिवहित किया जाना चाहिए। यदि कोई मोटरयान बिना प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की परिवहन अनुमति के परिसंकटमय अपशिष्ठ/पदार्थो का परिवहन कर रहा हो तो उसको रोककर तुरंत उसकी सूचना प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को देवे।

2. ऐसा मोटरयान जो परिसंकटमय अपशिष्ठ/पदार्थ का परिवहन कर रहा हो उस पर संलग्न प्रारूप (फार्म क्र.--08) अनुसार लेबल लगा होना नियमानुसार आवश्यक है।

3. मोटरयान जो उपरोक्त पदार्थो/अपशिष्ठों को परिवहन कर रहा हो, पर एक लेबल फ्लोरोसेंट पीला रंग का होना चाहिए। जिस पर "HAZARDOUS WASTES & HANDLE WITH CARE" लाल रंग से लिखा होना चाहिए। यह लेबल नॉन वाशेबल (जो बारिश या पानी से धुले नहीं) होना चाहिए।

4. इसी प्रकार मोटरयान वाहन चालक के पास आपात स्थिति से निपटने के लिये सहायक "TRANSPORT EMERGENCY CARD" (TERM) भी होना चाहिए। इस कार्ड का प्रारूप (फार्म--10) संलग्न है।

5. ऐसे पदार्थो का परिवहन करने वाला वाहन मजबूत एवं लीक फ्रूफ पदार्थ (जैसे स्टील प्लास्टिक आदि) निर्मित हो एवं जो परिवहन के दौरान क्षतिग्रस्त न हो। कंटेनर का ढक्कन मजबूत व सील बंद होना चाहिए।

6. प्रत्येक कंटेनर तथा परिवहन करने वाले वाहन पर हिन्दी एवं अंग्रेजी में परिवहन किये जा रहे अपशिष्ठ का विवरण एवं गुणवत्ता, भेजने एवं पाने वाले का नाम/पता, टेलिफोन आदि, तथा अधिनियमों के तहत दिये गये चिन्ह स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए।

(बी.के. सिंह)
सदस्य सचिव

पृ. क्र.   /प्रनिबो/खत.शाखा/सामान्य/2006   भोपाल, दिनॉक

प्रतिलिपिः—

प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल। निवेदन है, कि संबंधित विभागों को उपरोक्त नियमों के क्रियान्वयन करने हेतु निर्देशित करने का काष्ट करें।

(बी. के. सिंह)
सदस्य सचिव